एकात्म भारत संस्थान के लिए
सुचेंद्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

भाद्रपद, कृष्ण पक्ष चतुर्थी,
बुधवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

18 सितंबर 2019, इंदौर
for e-paper visit www.ekatmabharat.com

POK एक दिन भारत का भौगोलिक हिस्सा होगाः एस जयशंकर

दिल्ली

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एक दिन पीओके(पाक अधिकृत कश्मीर) भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ''पीओके पर भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। पीओके भारत का अंग है और हमें उम्मीद है कि एक दिन वो भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा।''

विदेश मंत्री ने अनुच्छेद 370 पर कहा, ''यह द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है और यह भारत का आंतरिक मुद्दा है। पाकिस्तान के साथ 370 का मुद्दा है ही नहीं। उसके साथ आतंकवाद का मुद्दा है। ''

जयशंकर से पहले भी भारत के तमाम बड़े नेताओं ने हाल फिलहाल में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है।

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बयान दिया था कि भविष्य में एक ऐसा दिन भी आएगा, जब पीओके के लोग पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर के भारत में विलय की मांग करेंगे।

एकात्म भारत ई-पेपर पढ़ने के लिए फेसबुक पर दैनिक एकात्म भारत पेज को लाइक कर सकते हैं । इसके साथ ही ट्विटर पर @EkatmaBharat को फॉलो कर सकते हैं। शीघ्र ही एकात्म भारत www.ekatmabharat.com पर भी उपलब्ध होगा। आप ई-मेल ekatmabharat1@gamil.com पर समाचार और सूचनाएं भेज सकते हैं।

न्यायाधीश ने पूछा ढ़ांचे में कमल का फूल और सिंह की आकृति कैसे

मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसका सीधा उत्तर नहीं दिया, कोर्ट ने पूछा बहस के लिए कितना समय चाहिए

एकात्म भारत. दिल्ली

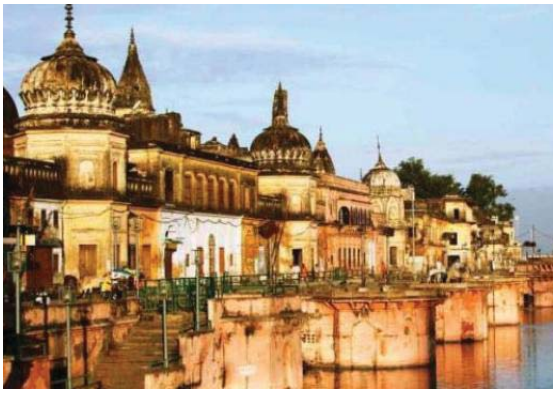

श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई को दौरान 25 वें दिन मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीशों की बेंच ने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन से ढांचे के अंदर पाए गए कमल से फूल, सिंह की आकृति, गरुड़ और द्वारपाल के चित्र क्या किसी मस्जिद में पाए गए हैं। इस मुद्दे पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील धवन ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कमल के फूल को सजावट के लिए बनाया गया होगा, बताया। पढ़िए इस मामले में न्यायालय में हुए वार्तालाप के अंश

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ः एक तस्वीर में सिंह द्वार भी है जिसमें दो सिंह हैं और बीच में गरुड़ की तस्वीर है। इस पर आप क्या कहेंगे। इसे ऑफ जस्टिफाई करें।

जस्टिस एसए बोबडेः वहां जो फूल और अन्य तस्वीरें मिली हैं उस बारे में आप क्या कहेंगे। आप बताएं कि क्या किसी और मस्जिद में तस्वीर होती हैं। ऐसी तस्वीर कहीं और मस्जिद में पाया गया है।

राजीव धवनः हम इस सवाल में नहीं जाना चाहते लेकिन यहां बताना चाहते हैं कि पिलर को देखा जाए। पिलर को देखकर ऐसा कोई सीधा साक्ष्य नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये भगवान से संबंधित हैं। नमाज पश्चिम की ओर रुख करके पढा जाता है वहां कोई तस्वीर नहीं है। 14 पिलर में कमल की तस्वीर है इस कारण वह कुरान के बाहर, इस्लाम के बाहर का मसला हो गया ये दलील सही नहीं है। उन तस्वीरों में भगवान की कोई तस्वीर नहीं है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूडः लेकिन हिंदू पक्षकारों की ये दलील तो हो ही सकती है कि चूंकि तस्वीर में फूल आदि की तस्वीर है तो वह मस्जिद नहीं हो सकता इस पर आप क्या कहेंगे।

जस्टिस अशोक भूषणः हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मंदिर का पिलर था और उसे तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया। द्वारपाल की भी तस्वीर थी।

राजीव धवनः कसौटी पिलर पर भगवान की कोई तस्वीर नहीं है। कमल की तस्वीर से ये जाहिर नहीं होता कि ये भगवान से संबद्ध है। ये सजावट के लिए हो सकता है।

जस्टिस बोब्डे ने पूछा कि क्या कोई ऐसा साक्ष्य है, जिसमें ऐसी मूर्तियां मस्जिदों में पाई गई हैं? जवाब में धवन ने कुतुब मीनार के पास बनी मस्जिद का उदाहरण दिया। हालांकि, निर्मोही अखाड़े ने कहा कि कुतुब मीनार में जैन मंदिर था। वहां जो मूर्तियां हैं, वे जैन मूर्तियां हैं। धवन ने चार इतिहासकारों (एसके सहाय, डीएन झा, सूर्यभान और इरफान हबीब) की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिन्होंने कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं मिलता। इसके साथ ही कोर्ट ने धवन से कहा कि इस मामले में जिस मौलाना की गवाही हुई थी वह भी शून्य हो गई है क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील द्वारा क्रॉस किए जाने के पहले ही मौलान की मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने वकीलों से पूछा कि दलीलें पूरी करने के लिए उन्हें कितना समय चाहिए। समय बताने के बाद सुनवाई का कार्यक्रम तय किया जाएगा। वकीलों ने कहा कि इस बारे में बुधवार को अदालत बताया जाएगा। छह अगस्त से रोजाना चल रही सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पूरी कर चुका है। उसने 19 दिन लिए थे।

स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से की ओला-ऊबर के दरों को नियंत्रित करने की मांग

एकात्म भारत.दिल्ली

ओला-ऊबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर्स द्वारा पीक आवर्स में लोगों से मनमाने पैसे वसूलने के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस पत्र में संस्था ने परिवहन मंत्रालय से अपील की है कि इन एग्रीगेटर्स के दरों को बढ़ाने की सीमा तय की जाए। संस्था ने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि मंबई में 6 मिनट की एक राइड के लिए टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी ने 2000 रुपए का किराया वसूला। संस्था ने हाल ही में जारी हुए एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि देशभर के लोग ऊबर-ओला समेत अन्य ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़ी कई परेशानियों को झेल रहे हैं। संस्था ने इस सर्वे की कुछ बातों को इस पत्र में शामिल किया।

संस्था ने मंत्रालय से अनुरोध किया कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए नियम बनाने के दौरान जनहित को ध्यान में रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों में इसे लेकर निराशा रहेगी। इसके चलते हो सकता है कि राज्य अपने खुद के नियम लागू करें और सर्ज प्राइसिंग के लिए कम लिमिट तय करें। कैब एग्रीगेटर्स इंडस्ट्री के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इनके तहत केंद्र सरकार पीक आवर्स यानी अधिक मांग वाली अवधि में ऊबर और ओला जैसे कैब ऐग्रिगेटर्स को ग्राहकों से बेस फेयर से तीन गुना तक अधिक भाड़ा लेने की इजाजत दे सकती है। नए नियमों में यह बताया जा सकता है कि ये कंपनियां ग्राहकों से सर्ज प्राइसिंग के तहत कितना भाड़ा ले सकती हैं। इसमें कंपनियों के लिए दूसरे दिशानिर्देश भी हो सकते हैं, जिन्हें दिसंबर 2016 में प्रस्तावित किया गया था।

बताईं ये बातें

-लोग चाहते हैं कि देशभर में सर्ज प्राइसिंग को 25 फीसदी से ज्यादा न बढ़ाया जाए। -कंपनी या ड्राइवर की तरफ से राइड कैंसिल किए जाने पर 100 रुपए या कुल किराए का 20 फीसदी ग्राहक के अकाउंट में डालना चाहिए। फिलहाल कस्टमर द्वारा राइड कैंसिल करने पर उसके अकाउंट से कुछ राशि जुर्माने के तौर पर काटी जाती है, लेकिन कंपनी द्वारा राइड कैंसिल करने पर उनपर जुर्माना नहीं लगता।

-सर्वे में यह भी सामने आया कि इन कंपनियों को पहले से बुक की गई राइड पर सर्ज प्राइसिंग लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। -किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में कस्टमर सर्विस सेंटर से बात करना आसान होना चाहिए। इसके लिए मूलभूत कस्टमर सर्विस और ऐप के फीचर्स को एक स्टैंडर्ड के तहत डिजायन करना चाहिए।